

प्रेषक, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक {बेसिक}
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
शिक्षा निदेशक {बेसिक}
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद ।

पत्रांक : शि०सहा०/मान्यता/

192-93 दि० अक्टूबर 22/1992

विषय :- आपके विद्यालय को "ब" श्रेणी की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 217/15-6-90-18 {एस०}/89 दिनांक : 11 मई, 1992 में निहित निर्देश के अनुसार मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक जनपद बिजनौर में दिनांक : 14-10-92 को संस्तुति पर आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल {कक्षा-6-से 8 तक} की "ब" श्रेणी की मान्यता शैक्षिक सत्र जुलाई 1992 से प्रदान की जाती है ।

विद्यालय द्वारा अवैधान्तिक कक्षाएँ चलाने तथा शिक्षा संहिता, शासनादेश एवं विभागीय आदेशों को अवहेलना की स्थिति में प्रदत्त मान्यता का प्रत्याहरण करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।

भवदीय,

{गौरी दत्त ओझा}
सहायक शिक्षा निदेशक {बेसिक}
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद

पु०सं० : शि०सहा०/मान्यता/3245-55/1992-93 दि० उक्त तिथि को

प्रतिलिपि : निम्नांकित अधिकारियों को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- शिक्षा निदेशक {बे०} निशातगंज, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 2- अपर शिक्षा निदेशक {बे०} शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
- 3- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
- 4- रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएँ, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
- 5- अपर सचिव, बेसिक माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० बरेली ।
- 6- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद/रामपुर/बिजनौर ।
- 7- लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद, मुरादाबाद/रामपुर/बिजनौर ।
- 8- उप विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद/रामपुर/बिजनौर ।
- 9- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद ।
- 10- जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर/रामपुर/बिजनौर मुरादाबाद ।
- 11- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक {बे०} उत्तर प्रदेश ।

नरेन्द्र/
शि०सहा०/

{गौरी दत्त ओझा}
सहायक शिक्षा निदेशक {बेसिक}
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

सेवा में

प्रबन्धक,
शिक्षण शिष्ट सदन प्राईमरी स्कूल,
धामपुर (बिजनौर)।

पत्रांक एस० टी० १।

१३१५-१६ दिनांक मई ४ १९८८

विषय:- विद्यार्थी को प्राईमरी स्तर तक की स्थायी मान्यता प्रदान करना।
महोदय,

उपरोक्त विद्यार्थी निवेदन है कि आपके विद्यार्थी की प्राईमरी स्तर की मान्यता का प्रकरण जिला मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मान्यता समिति ने निर्णय दिया है कि आपके विद्यार्थी को प्राईमरी स्तर (कक्षा १ से ५) तक की स्थायी मान्यता मई ८९ से निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

- १- जिस भवन में विद्यार्थी की मान्यता दी जा रही है उसी भवन में विद्यार्थी संचालित रहेगा। विद्यार्थी भवन बंद होने पर मान्यता स्वतः ही निरस्त हो जाएगी।
- २- विद्यार्थी में अनैवान्त्रिक कक्षाओं का संचालन न किया जाए।
- ३- छात्रों से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क किसी प्रकार का घन वसूल न किया जाए।
- ४- विभाग द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय कृत पुस्तकें ही संचालित की जाए। अमान्य पुस्तकें न पढ़ाये जाए।
- ५- विभागीय आदेशों का पालन न करने पर भी मान्यता समाप्त की जा सकती है।

महोदय
(महेन्द्र सिंह चौहान)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

पं० अंकन संख्या नंबर एस० टी० १।

१८८-८९ उसी तिथि को

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१
२-

शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र धामपुर।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी बिजनौर

(महेन्द्र सिंह चौहान)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

Seen
Nanda Kumar